



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी सागर को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 माह 27 दिन के कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में अभियुक्त सागर पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम पिचोकरा थाना बिनोली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 968/2015 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.01.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सागर को दोषी पाते हुए 01 माह 27 दिन के कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 13.01.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम

व पता:-

- 1-अमित पुत्र रोशनलाल निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-अंकित उर्फ शेखर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 13.01.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कटी हुई 12 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी व घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो महिन्द्रा पिकअप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

बागपत जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कटी हुई 12 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी तथा घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो



महिन्द्रा पिकअप नं0 DL1LAB6620 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 12/25 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आरिफ पुत्र भूरु निवासी कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-जहांगीर पुत्र शौकीन निवासी कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-जावेद उर्फ आबिद पुत्र इमामुद्दीन निवासी कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- कटी हुई 12 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी ।
- घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो महिन्द्रा पिकअप नं0 DL1LAB6620

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यवीर परमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 177 अशोक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5- का0 1034 हरिसिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

